गया। एवं अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 की ओर से जवाब पेश नही किया जाकर सीधे बहस का निवेदन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने बहस करते हुए अपने कथन में निवेदन किया गया कि ग्राम बिग्गाबास रामसरा से कुन्तासर जाने वाला रास्ता खेत खसरा नंबर 556 में कभी भी नहीं रहा है कुन्तासर जाने वाला रास्ता मैन सडक पर स्थित मोबाईल टावर के पास से जाता है जो चालू है। खेत खसरा नंबर 556 में से होकर कभी भी कोई रास्ता प्रार्थी का नही रहा है। प्रार्थी मोबाईल टावर के पास से गुजरने वाले कुन्तासर रास्ते से फंटकर अपने खेतो में आवागमन करता है। प्रार्थी के खेत का रास्ता खेत खसरा नंबर 494 में से लगता है जो कि प्रार्थी एवं उनके भाईयों का संयुक्त खातेदारी का खेत है। एवं माननीय बोर्ड ऑफ रेवन्यू राजस्थान, अजमेंर की आरआरटी 2021(2) पृष्ठ संख्या 1286 से 1289 व आरआरडी–14.02.2019 पृष्ठ संख्या 106 से 111 नजीरे पेश की गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस का खंडन करतें हुए निवेदन किया गया कि ग्राम बिग्गाबास रामसरा से ग्राम कुंतासर की ओर जाने वाला खेतों का रास्ता 65–70 वर्ष पुराना रास्ता हैं उक्त रास्ता राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के उपर से होते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 556 तादादी 3.1800 हैक्टेयर रोही ग्राम बिग्गा में पूर्वी सींव–सींव प्रवेश कर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 493 में प्रवेश करता हैं एवं प्रार्थी के खेत से आगे के खेंतों की ओर जाता है। उक्त रास्ता खेतों का प्रचलित रास्ता है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 493 तादादी 2.8700 हैक्टेयर रोही बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में आने जाने का एकमात्र रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 556 तादादी 3.1800 हैक्टेयर में चल रहें प्रचलित रास्ता में से है। अप्रार्थी संख्या 1 का खेत खसरा नम्बर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर स्थित हैं। प्रार्थी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 से अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 566 में से उसकी पूर्वी सींव के सहारे सहारे प्रचलित रास्ता से अपने खेत में प्रवेश करता है। प्रार्थी इसी रास्ते से अपने खेत खसरा नम्बर 493 में प्रवेश करता है। उक्त रास्ता का राजस्व रिकार्ड में कट्टाणी रास्ता के रूप में अंकन नही है। उक्त रास्ता कट्टाणी दर्ज नही होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त प्रचलित रास्ता को तारबंदी करके बंद कर दिया और अप्रार्थी संख्या 1 इस प्रचलित रास्ते के निशानात मिटाने की कोशिश कर रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के खेत का रास्ता अवरूद्ध कर दिया हैं। प्रार्थी के खेत का रास्ता बंद होने के कारण प्रार्थी के खेत में काश्त की हुई फसल देखभाल के अभाव में खराब हो रही है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी की कृषि भूमि को उपयोग उपभोग में लेने में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी के खेत की लाखों रूपयें की फसल रास्ता बंद होने के कारण खराब हो रही हैं। प्रार्थी के खेत में आने जाने का एकमात्र रास्ता उक्त प्रचलित रास्ता हैं उपरोक्त रास्ता आवश्यकता का रास्ता है। प्रार्थी के खेत का उक्त रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 के खेत की भूमि में से होकर हैं । उक्त रास्ता प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु शुरू से ही चला आ रहा हैं। इसी रास्ते से प्रार्थी अपनी भूमि में आवागमन करता रहा हैं। प्रार्थी उक्त प्रचलित रास्ता जिससे प्रार्थी अपने खेत में प्रवेश करता हैं को राजस्व रिकार्ड में कट्टाणी रास्ता के रूप में दर्ज करवांना चाहता हैं।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 25.06.2021 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ [illegible] रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम बिग्गा के वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबंदी [illegible] खसरा नंबर 556 तादादी 3.18 हैक्टेयर भूमि कमल किशोर व शिवनारायण [illegible] श्री बाबूलाल जाति सोनी निवासी बीकानेर के नाम दर्ज [illegible] 493 के खातेदार मघाराम पुत्र हीराराम जाति सुथार निवासी कितासर भाटियान हाल श्रीडूंगरगढ ने आपने खेत खसरा नंबर 493 में आने जाने का रास्ता ([illegible] बन्द कर दिया) खुलवाने

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी * श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 18:05:02 IST
Reason: SelfAttested

अन्तर्गत धारा 251 ए का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके दक्षिण दिशा में नेशनल हाईवे नं. 11 खसरा नंबर 55 है। खातेदार मघाराम ने ग्राम कितासर भाटियान से आने जाने का निकटतम रास्ता खसरा नंबर 556 में से है। इसके अलावा यह रास्ता ग्राम रामसरा विग्गाबास से कुंतासर आने जाने का काफी पुराना लगभग 60–70 वर्ष से रहा है जो प्रचलित रास्ता था। उक्त रास्ता के निशान खसरा नंबर 556 की पूर्वी सीमा के साथ मौजूद है। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के खेत का रास्ता अवरूद्ध कर दिया हैं। प्रार्थी के खेत का रास्ता बंद होने के कारण प्रार्थी के खेत में काश्त की हुई फसल देखभाल के अभाव में खराब हो रही है। प्रार्थी के खेत में आने जाने का एकमात्र रास्ता उक्त प्रचलित रास्ता हैं उपरोक्त रास्ता आवश्यकता का रास्ता है। प्रार्थी के खेत का उक्त रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 के खेत की भूमि में से होकर हैं । उक्त रास्ता प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु शुरू से ही चला आ रहा हैं। इसी रास्ते से प्रार्थी अपनी भूमि में आवागमन करता रहा हैं। उक्त रास्ता कटाणी रास्ता ने होकर प्रचलित रास्ता है, जिसको अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अवरूद्ध किया गया है। अतः प्रार्थी द्वार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 493 तादादी 2.8700 हैक्टेयर वाके रोही विग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 556 तादादी 3.1800 हैक्टेयर की पूर्वी सींव के पास पास जिसकी लम्बाई 113 गुणा 5 मीटर चौडाई से कुल भूमि 565 वर्गमीटर को अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 556 में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में लाल स्याही अंकन किया जाकर रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 556 में से 565 वर्गमीटर भूमि रास्ते के रूप में उपयोग में ली जायगी जिसका डी.एल.सी दर से 619587 हैक्टेयर के हिसाब से कुल राशि 7000/रूपये से प्रतिकर राशि प्रार्थी से अप्रार्थी संख्या 01 को दिलाया जाना न्यायोचित है। तहसीलदार उक्त प्रतिकर राशि का बैंक ड्राफ्ट प्रार्थी से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम निर्णय के 15 दिवस में अप्रार्थी संख्या 4 को प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 556 में से प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते का अंकन आदेशानुसार कर रिकार्ड में अमल दरामद करें।

आदेश आज दिनांक 23.8.2022 को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 18:05:02 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या) उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)
श्रीडूंगरगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)